

श्री विनोद कुमार,  
गाँव सुन्दरपुर,  
डाकखाना पलवल,  
तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र,  
हरियाणा ।

संयुक्त निदेशक (राजस्व)द०/द०प०

आदेश

इस आदेश द्वारा श्री विनोद कुमार, के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 01-08-2015 का निपटान किया गया ।

दिनांक 28.10.2015 को अपील की सुनवाई की गई । नियत समयानुसार अपीलकर्ता श्री विनोद कुमार उपस्थित नहीं हुए एवं जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में भी कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 22.05.2015 को अपीलकर्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिस पर उचित कार्यवाही नहीं होने के कारण यह अपील दिनांक 01.08.2015 को दायर की ।

आर० टी० आई० की अपील का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि जनसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारियों ने आर० टी० आई० के प्रार्थनापत्र का उत्तर नहीं दिया है । सम्बद्ध एरिया पहले क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (द०प०)-I, ककरोला मोड़ के अन्तर्गत आता था किन्तु अब यह क्षेत्र क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (द०प०)-II, वसन्त कुंज के अधिकार क्षेत्र में स्थानान्तरित हो गया है। अतः जनसूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि जिस भी क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी के पास यह क्षेत्र आता है, इस आदेश के पारित होने के पन्द्रह दिन के अन्दर अपीलकर्ता को उपलब्ध सूचना प्रदान करे ।

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया ।

यदि अपीलकर्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता हैं :-

केन्द्रीय सूचना आयोग,  
द्वितीय तल, बी-विंग,  
अगस्त क्रान्ति भवन,  
भीकाजी कामा प्लेस,  
नई दिल्ली- 110066

ह०/-

निधि श्रीवास्तव  
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्री विनोद कुमार, गाँव सुन्दरपुर, डाकखाना पलवल, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा ।
2. संयुक्त निदेशक (राजस्व) द०/द०प०
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (द०प०)-II, वसन्त कुंज ।
4. अधिशासी अभियन्ता (ई०डी०पी०) को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट